संख्या: 72/2017/3452/12-2-2017-60(6)/2017 टी0सी0-14

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 11 अक्टूबर, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के ऋणी कृषक की मृत्यु के पश्चात एक से अधिक उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत ऋणी कृषक की मृत्यु के पश्चात एक से अधिक उत्तराधिकारी होने की स्थिति में उत्तराधिकारी का निर्धारण वर्तमान में प्रचलित उत्तराधिकार विधियों के आधार पर सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके आधार पर बैंक द्वारा अपने अभिलेखों में प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर कार्यवाही की जाये।

2. कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 72/2017/ 3452 (1)/12-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
4. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
6. निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा, विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in